वित्त निर्देश 15/2016

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 203/एफ 2016–16–00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन।

———

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम–38 में यह प्रावधान है कि प्रसूति अवकाश इसके प्रारंभ होने की तिथि (date of commencement) से 180 दिन तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। परीक्षण हेतु प्राप्त एक प्रसूति अवकाश के प्रकरण में वित्त विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त नियम में 'प्रारंभ होने की तिथि' का आशय स्पष्ट किया जाये।

वित्त विभाग द्वारा विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसूति अवकाश में प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए गर्भावस्था की अवधि भी शामिल है, किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन के पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण को शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(संलग्न उपरोक्तानुसार)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 25/5/2016
संयुक्त सचिव

पृ. क्रमांक 204/एफ 2016–16–00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी,
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 25 मई, 2016

क्रमांक 205/एफ 2016–16–00155/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में:–

नियम 38 के उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/05/2016

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 25 May, 2016

No. 205/F -2016-16-00155/F/R/IV :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely:--

AMENDMENT

In the said rules:--

For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely:--

"(1) A female government servant who has less than two surviving children, may be granted maternity leave for a period of up to 180 days. The period of leave shall include the period of pregnancy and the day of delivery but such leave shall not be granted for any period beyond 180 days from the date of delivery. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakraborty) 25/05/2016
Joint Secretary